

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय खण्ड पीठ****लखनऊ****आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 2344 वर्ष 2026**

सभ्या देवी और अन्य

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

प्रमुख सचिव, गृह राज्य के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य, और 3 अन्य।

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : संजय कुमार वर्मा, प्रमोद कुमार वर्मा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या: 11**माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन****माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती बबीता रानी**

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनी गईं।
2. प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, प्रतिवादी संख्या 4 को नोटिस भेजने की आवश्यकता नहीं है।
3. यह रिट याचिका इस संबंध में दायर की गई है जिसमें याचिकाकर्ताओं को किसी भी तरह से परेशान न करने का निर्देश देने और याचिकाकर्ताओं के वैवाहिक जीवन की रक्षा करने के लिए परमादेश रिट की मांग की गई है।
4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि दोनों याचिकाकर्ता बालिग हैं और उन्होंने 10.03.2026 को आर्य वैदिक धर्म संस्कार एवं समाज सेवा न्यास, इस्माइलगंज, सुरेंद्र नगर, लखनऊ में अपनी इच्छा से विवाह किया है। विवाह प्रमाण पत्र की एक प्रति इस याचिका

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है। याचिकाकर्ताओं के बालिग होने के समर्थन में, याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 ने क्रमशः इस याचिका के अनुलग्नक-2 और 3 के भाग के रूप में अपने हार्ड स्कूल प्रमाण पत्रों की प्रतियां संलग्न की हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि दोनों याचिकाकर्ता बालिग हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने हलफनामे के साथ रिट याचिका में यह दर्शाया है कि दोनों याचिकाकर्ता बालिग हैं। यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 4 इस विवाह से प्रसन्न नहीं है और इस प्रकार वह याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहा है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने आगे कहा है कि इस संबंध में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज नहीं की गई है।

5. इस संदर्भ में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य-2006 (5) एससीसी 475** मामले में दिए गए फैसले का उल्लेख करना उचित होगा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा-17 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

"17..... यह एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है, और एक बार जब कोई व्यक्ति बालिग हो जाता है, तो वह जिससे चाहे उससे विवाह कर सकता है। यदि लड़के या लड़की के माता-पिता ऐसे अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वे अधिकतम यह कर सकते हैं कि वे बेटे या बेटी से सामाजिक संबंध तोड़ लें, लेकिन वे धमकी नहीं दे सकते, हिंसा नहीं कर सकते या हिंसा के कृत्यों को उकसा नहीं सकते और ऐसे अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह करने वाले व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकते। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि देश भर के प्रशासन/पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि यदि कोई बालिग लड़का या लड़की किसी बालिग महिला या पुरुष से अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह करता है, तो दंपति को किसी के द्वारा परेशान न किया जाए, न ही उन्हें धमकी दी जाए या हिंसा के कृत्यों का शिकार बनाया जाए, और जो कोई भी ऐसी धमकी देता है, परेशान करता है या हिंसा के कृत्यों को अंजाम देता है, चाहे स्वयं या उसके उकसावे पर, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस द्वारा आपराधिक कार्यवाही शुरू करके दंडात्मक कार्रवाई की जाए और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानून द्वारा निर्धारित कठोर कार्रवाई की जाए।"

6. याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण की भी अपील की है, जो गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण जीवन और स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप न करें।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि इस मामले में पहले से ही कोई एफ.आई.आर. दर्ज है, तो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा।

9. हालांकि यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की आयु या कथित विवाह की सत्यता/वैधता पर कोई निर्णय नहीं दिया है।

10. याचिकाकर्ताओं को आज से दो महीने के भीतर "उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियम, 2017" के तहत अपना विवाह पंजीकृत करवाना होगा।

11. संबंधित विवाह रजिस्ट्रार को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं को कानून के अनुसार यथाशीघ्र पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करें।

18 मार्च, 2026

एस शिवहरे/-

(न्यायमूर्ति श्रीमती बबीता रानी) (न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।